

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाड़ जिला टोंक

(हरिताम कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाड़ द्वारा अध्यासित)  
दावा संख्या :-159/2014  
निर्णय दिनांक:-17.01.18

## उनवान

बाबूलाल पुत्र भूरा जाति माली निवासी क० निवाड़ तहसील निवाड़

- वादी

## बनाम

1. कजोड पुत्र रमेश जाति माली निवासी क० निवाड़ तहसील निवाड़
2. ओमप्रकाश पुत्र रमेश जाति माली निवासी क० निवाड़ तहसील निवाड़
3. पूजा पुत्री रमेश जाति माली निवासी क० निवाड़ तहसील निवाड़
4. शान्ति पत्नि रमेश जाति माली निवासी क० निवाड़ तहसील निवाड़
5. पूरण पुत्र नानगा जाति माली निवासी क० निवाड़ तहसील निवाड़
6. फूलचन्द पुत्र लच्छू जाति माली निवासी क० निवाड़ तहसील निवाड़
7. पदमचन्द पुत्र लच्छू जाति माली निवासी क० निवाड़ तहसील निवाड़
8. सुरेश पुत्र लच्छू जाति माली निवासी क० निवाड़ तहसील निवाड़
9. मनभर पुत्री लच्छू जाति माली निवासी क० निवाड़ तहसील निवाड़
10. तहसीलदार निवाड़

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित- श्री कौशल किशोर जाट वकील वादी  
श्री रामबाबू शर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 व 8

## निर्णय

तहसीलदार निवाड़ से प्राप्त कूर्रजात रिपोर्ट अनुसार तकासमा किये जाने हेतु उभयपक्षों के वकील सहमत है। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। प्राप्त पी०डी० रिपोर्ट में ख.नं. 2084, 2085, 2086 वाके क०निवाड़ तहसील निवाड़ का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. बाबूलाल पुत्र भूरा कौम माली सा. देह खातेदार

ग्राम का नाम	ख०न०	रकबा (बीघा में)
क०निवाड़	2084/1	0-06
क०निवाड़	285/1	0-05
कुल किता-2	कुल रकबा-	0-11

2. कजोड ओमप्रकाश पि. रमेश पूजा पुत्री रमेश शांति पत्नि रमेश हि. 1/5 फूलचन्द पदमचन्द सुरेश पि. लच्छू मनभर पुत्री लच्छू हि. 4/5 कौम माली सा. देह खातेदार


ग्राम का नाम	ख०न०	रकबा (बीघा में)
क०निवाड़	2084/2	0-06
क०निवाड़	285/2	0-04
कुल किता-2	कुल रकबा-	0-10

31  
उपखण्ड अधिकारी  
निवाड़, जिला टोंक

3. पूरण पुत्र नानगा कौम माली सा. देह खातेदार

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
क0निवाई	2084 / 3	0-11
क0निवाई	2085 / 3	0-10
कुल किता-2	कुल रकबा-	1-01

ख.नं. 2086 गै.मु. चाह होने के कारण शामिल रखी गया।  
तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते हैं।  
पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।  
यह निर्णय आज दिनांक 17.01.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
हरिताभ कुमार आदित्य  
(आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाड़ जिला टोंक  
(डिकी मुकदमा इब्दादई)  
(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाड़ )

उनवान  
बाबूलाल बनाम कजोड वगै.

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 159 / 2014

तहसीलदार निवाड़ से प्राप्त कूरैजात रिपोर्ट अनुसार तकासमा किये जाने हेतु उभयपक्षों के वकील सहमत है। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट में ख.नं. 2084, 2085, 2086 वाके क0निवाड़ तहसील निवाड़ का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. बाबूलाल पुत्र भूरा कौम माली सा. देह खातेदार

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
क0निवाड़	2084 / 1	0-06
क0निवाड़	285 / 1	0-05
कुल किता-2	कुल रकबा-	0-11

2. कजोड ओमप्रकाश पि. रमेश पूजा पुत्री रमेश शांति पत्नि रमेश हि. 1/5 फूलचन्द पदमचन्द सुरेश पि. लच्छू मनभर पुत्री लच्छू हि. 4/5 कौम माली सा. देह खातेदार

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
क0निवाड़	2084 / 2	0-06
क0निवाड़	285 / 2	0-04
कुल किता-2	कुल रकबा-	0-10

3. पूरण पुत्र नानगा कौम माली सा. देह खातेदार

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
क0निवाड़	2084 / 3	0-11
क0निवाड़	2085 / 3	0-10
कुल किता-2	कुल रकबा-	1-01

ख.नं. 2086 गै.मु. चाह होने के कारण शामिल रखा गया।  
तहसीलदार निवाड़ को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते हैं। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 01 सन् 2018 को जारी की गई।

31/11/18  
उपखण्ड अधिकारी  
निवाड़ जिला टोंक